न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : बी0एल0 कोठारी, आई.*ए.एस*

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 10/2017

प्रार्थीगण	बनाम	**अप्रार्थीगण**
1. मोहम्मद खॉ पुत्र सफी खॉ निवासी– केलावा तहसील– पोकरण जिला जैसलमेर।		1. समरदीन पुत्र नेकू खॉ 2. कायम खॉ उर्फ कायमदीन पुत्र श्री नेकू खॉ, 3. नूर खॉ उर्फ नूरदीन पुत्र दीने खॉ निवासी– सुगनपुरा, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

अवमानना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 39 नियम 2 (ए) एवं सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

उपस्थितिः——

1. श्री पी0 डी0 दवे, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री एल0डी0 खत्री, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक जून,2019

1. प्रार्थी द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर के स्थगन आदेश दिनांक 25.4.2016 का अप्रार्थीगणों द्वारा उल्लंघन करने का उल्लेख करते हुए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 रूल 2 (ए)के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त में अप्रार्थीगणों द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की थी। जिसमें माननीय अति0 संभागीय आयुक्त न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 25.4.2016 को स्थगन आदेश पारित किया गया। आदेश इस प्रकार से हैः– ''ग्राम केलावा के खसरा संख्या 290/137 रकबा 177 बीघा व

खसरा संख्या137/2 रकबा 1 बीघा कुल 178 बीघा के सम्बन्ध में आगामी सुनवाई तिथी तक मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावें।

2. उक्त आदेश के पश्चात अप्रार्थीगणों द्वारा उक्त स्थगन आदेश की अवहेलन कर मौके की यथास्थिति में परिवर्तन कर न्यायालय आदेश की आड में माठो की यथास्थिति में फेर बदल करने का भरसक प्रयास किया, परन्तु प्रार्थी व उसके परिवार के विरोध पर अपने मनसूबों में सफल नहीं हो सके।

3. अप्रार्थीगणों ने अपने जबाव में प्रार्थीगण के उक्त कथन का खण्डन किया एवं कहा कि माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 22.7.2016 की पालना आज तक अप्रार्थीगण कर रहे है। उक्त कृत्यों से स्थगन आदेश की अवमानना हुई है। अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं अपील प्रस्तुत कर एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर उसकी आड में यथास्थिति में परिवर्तन किया गया है। जिसके लिये अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से दोषी है जिनके विरूद्ध अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया।

5. प्रार्थी द्वारा यह अवमानना प्रार्थना पत्र व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 39 रूल 2 (ए)के तहत प्रस्तुत किया गया है। जो इस प्रकार से हैः——

"2-A Consequence of Disobedience or breach injunction—

(1) In the case of disobedience of any injunction granted or other order made under rule 1 or rule 2 or breach of any of the terms on which the injunction was granted or the order made ...."

6. उक्त आर्डर 39 रूल 2 ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि कोई निषेधाज्ञा व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 1 (एक) या 2 (दो) के तहत जारी की गई हो तो उसके उल्लंघन पर आदेश 39 नियम 2(ए) के तहत अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।

7. हमने माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के स्थगन आदेश दिनांक 25.4.2016 की पत्रावली का अवलोकन किया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश धारा 75 राज0

भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत प्रथम राजस्व अपील में प्रदान किया है। उनके समक्ष व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 1 (एक) या 2 (दो) के तहत कार्यवाही विचाराधीन नहीं थी। अतः स्थगन आदेश दिनांक 25.04.2016 से व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 1 (एक) या 2 (दो) के तहत जारी होना नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति प्रार्थी द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 2 (ए) के अवमानना की कार्यवाही भी नहीं संस्थित की जा सकती है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचाराधीन अवमानना कार्यवाही न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं होने से समाप्त की जाती है। निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर